[2021] 9 एस. सी. आर 533

बृजमणि देवी

बानाम

पप्पु कुमार और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील No.1663)

17 दिसंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना]

दंड संहिता, 1860 एस. एस. 302 आर/डब्ल्यू 34; 341,307 आर/डब्ल्यू 34-जमानत-प्रतिवादी अपीलार्थी के बेटे की हत्या का आरोपी-- जमानत खारिज

सत्र न्यायालय-कुछ शर्तों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: प्रत्यर्थी के खिलाफ कथित अपराध गंभीर हैं

बनाम-क-दो बार अपीलार्थी के बेटे पर, 2017 में उसकी हत्या के प्रयास का आरोप लगाना और 2020 में उसकी हत्या का आरोप लगाना-प्रतिवादी का आपराधिक इतिहास है-उसके फरार होने या गवाहों को धमकी देने की संभावना है यदि वह जमानत पर है जिसका मुकदमे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा-वर्तमान मामले उसके खिलाफ दो गंभीर आरोपों के संबंध में प्रतिवादी को जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

उसी व्यक्ति के संबंध में-उच्च न्यायालय ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि खो दी और बहुत ही गुप्त आदेशों द्वारा जमानत दे दी - विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-प्रत्यर्थी को आत्मसमर्पण करने के लिए-शस्त्र अधिनियम। 25 , 27 - अधिकतम-सेसांते राशन लेजिस सेसैट इप्सा लेक्स।

जमानत अनुदान-विचार किए जाने वाले कारकों-पर चर्चा की गई।
जमानत-कारणों को दर्ज करने का आदेश-आयोजित: जबकि

जमानत देने के लिए विस्तृत कारण नहीं दिए जा सकते हैं, साथ ही साथ तर्कपूर्ण या प्रासंगिक कारणों से रहित आदेश के परिणामस्वरूप जमानत नहीं दी जा सकती है-यह केवल एक गैर-मौखिक आदेश होगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का एक उदाहरण है।

ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष या मुखबिर को एक उच्च मंच-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के समक्ष आदेश पर हमला करने का अधिकार है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (1978) 1 एस. सी. सी. 240:
[1978] 2 एससीआर 371; प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी.

दिल्ली और ओआरएस (2001) 4 एससीसी 280: [2001] 2 एस. सी. आर. 684; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 एस. सी. सी. 598 [2002] 2 एस. सी. आर. 526; कल्याण चंद्र सरकार

बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्र। (2004) 7

एससीसी 528: [2004] 7 एस. सी. सी. 528; गोबरभाई नारनभाई

सिंगला बनाम गुजरात राज्य और अन्य। आदि। (2008) 3

एससीसी 775: [2008] 2 एस. सी. आर. 131; पंचानन मिश्रा बनाम

दिगंबर मिश्रा (2005) 3 एससीसी 143 [2005] 1 एससीआर

484 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एससीसी 21 [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 454; एश मोहम्मद बनाम शिव

राज सिंह @लल्ला बहू और अन्र। (2012) 9 एससीसी 446:

[2012] 7 एस. सी. आर. 584; नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र।

यादव बनाम. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2018) 12 एस. सी. सी. 129:
[2017] 11 एस. सी. आर. 195; भूपिंद्र सिंह बनाम राज्य

राजस्थान और अन्र. 2021 का सीआर. ए. 1279; महिपाल बनाम.

राजेश कुमार (2020) 2 एससीसी 118: [2019] 14 एससीआर 529; क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एन. आर. बनाम मसूद

अहमद खान और ओआरएस। (2010) 9 एससीसी 496: [2010] 10

एससीआर 1070-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 2 एससीआर 371

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2001] 2 एससीआर 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2002] 2 एससीआर 526

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2004] 7 एस. सी. सी. 528

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2008] 2 एससीआर 131

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2005] 1 एससीआर 484

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2005] 3 पूरक। एससीआर 454

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2012] 7 एससीआर 584

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2015] 10 एससीआर 802

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2017] 11 एससीआर 195

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

उस पर भरोसा करें

2021 का सी. आर. ए. 1279

पैरा 21

[2019] 14 एससीआर 529

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[2010] 10 एससीआर 1070

उस पर भरोसा करें

पैरा 22 बृजमणि देवी बनाम। पप्पु कुमार और ए. एन. आर.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1663।

2021 के आपराधिक विविध No.11683 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.07.2021 से।

के साथ 2021 की आपराधिक अपील No.1664।

समरहर सिंह, सुश्री श्वेता कुमारी, नागेंद्र शर्मा, रमाकांत कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आर. बसंत, सीनियर एड. , योगीश अहिराज, अजीत प्रवीण वाघ, सुश्री आस्था प्रसाद, ए. कार्तिक, अर्श खान, साकेत सिंह, सुश्री निरंजना सिंह, मनीष कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

नागरत्ना जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों को सूचना देने वाले-अपीलकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 22.07.2021 और 13.09.2021 आदेशों पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकता दी गई है।

आपराधिक विविध सं. में पटना में न्यायिक न्यायालय। 11683 2020 के नौबतपुर पी. एस. मामले No.93 और परसा बाजार पी. एस. मामले के संबंध में क्रमशः 2021 और 2021 के 26463 के तहत अभियुक्त को जमानत दी गई है जो अपीलों में आम प्रतिवादी है।

क्रमशः 2017 का No.316।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलार्थी मृतक रुपेश कुमार की माँ है। उसे एक प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है

अपने बेटे की हत्या और उस व्यक्ति की भी जिसने अपने बेटे की हत्या के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आम प्रतिवादी आरोपी के खिलाफ 2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है।, पप्पु कुमार और एक अन्य व्यक्ति का नाम दीपक कुमार है।

4. कहा जाता है कि वह एफ. आई. आर. No.93/2020 दिनांक 19.02.2020 अपीलार्थी द्वारा यहाँ रात के 2.30 बजे से 3 बजे के बीच दायर की गई थी।

यह बताते हुए कि उनका लगभग 35 साल का बेटा रुपेश कुमार उनके घर की छत पर बने कमरे में सो रहा था। एक रिश्तेदार दीपक कुमार भी वहाँ सो रहा था। वह दूसरे कमरे में सो रही थी जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त कमरे के बगल में है। उसने आगे कहा है कि उसने एक व्यक्ति के चलने और बात करने की आवाज सुनी और फिर उसने देखा कि प्रतिवादी-आरोपी मौजूद था और उसके हाथ में पिस्तौल थी और जब उसने उसे देखा, तो उसने उसे पकड़ लिया और जबरन उसका मुंह अपने गमछे (तौलिया) से बांध दिया और उसने उसके सामने अपनी पिस्तौल से उसके बेटे के सिर पर गोली मार दी और दीपक कुमार ने भी उसके बेटे के सिर पर एक बार गोली मार दी। नतीजतन, उनके बेटे की मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए। लेकिन आरोपी अपनी पिस्तौल छोड़ कर भाग गए।

5. इससे पहले, 2017 की एफ़. आई. आर. No.316 परसा बाज़ार पुलिस स्टेशन में अपीलार्थी के मृत बेटे द्वारा दर्ज की गई थी।, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा

341,307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत रुपेश कुमार पर गोली से गंभीर चोट पहुँचाने का आरोप है।

वही प्रतिवादी-यहाँ आरोपी और उसके दो परिचित के. के. वर्मा, ए. एस. आई., शास्त्री नगर पी. एस., जिला पटना, आपातकालीन वार्ड, पारस अस्पताल, पटना में शाम 7.57 बजे। यह फ़र्दबेयान एक घटना के संबंध में दिया गया था जो पिछले दिन हुई थी यानी 27.12.2017 जब वह सिपारा में अपने दोस्त शैलेंद्र से मिलने गए थे। जब रुपेश कुमार अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, प्रतिवादी-अभियुक्त ने अपने दो परिचित लोगों के साथ उसे पकड़ लिया और प्रतिवादी-अभियुक्त ने गोली चला दी और उसे गोली मार दी। जब रुपेश कुमार भागा और पास के गाँव में एक किसान के घर पहुँचा और

उसे पूरी कहानी सुनाई, उसे मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसने 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई।

6. अपीलार्थी के अनुसार, प्रतिवादी-अभियुक्त ने उसके बेटे को मारने का प्रयास किया था।, वर्ष 2017 में रुपेश कुमार ने उन पर गोली चलाई थी और 2017 की एफ़. आई. आर. No.316 दर्ज की गई थी। लेकिन 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 93 दर्ज करने के बाद, प्रतिवादी-आरोपी लगभग सात महीने तक फरार रहा। उसने इसमें अपीलार्थी को धमकी भी दी थी और अपीलार्थी-मुखबिर और उसके परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला था, जिसमें विफल रहने पर वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। कि अपीलार्थी की दिनांक 30.09.2020 की एक लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी, जिसके अनुसरण में प्रतिवादी-अभियुक्त की शिकायत दर्ज की गई थी।

रुपेश कुमार की हत्या के मामले में गिरफ्तार।

7. भागने के दौरान प्रतिवादी-आरोपी को 30.09.2020 पर गिरफ्तार किया गया था। प्रतिवादी-अभियुक्त नौ महीने की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में है जब तक कि उसे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी गई। 8. वास्तव में, पटना में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपराधों का संज्ञान लिया और बृजमणि देवी बनाम को समन जारी किया।

पप्पु कुमार और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

प्रतिवादी-यहाँ एफ. आई. आर. No.316/2017 के संबंध में अभियुक्त। नौबतपुर पी. एस. केस No.316/2017 के संबंध में आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत न्यायिक हिरासत में रिमांड का आदेश पारित किया गया था।

9. कि अभियुक्त ने सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, दानापुर ने दिनांक 08.12.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। इसके बाद, प्रतिवादी-अभियुक्त ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को दबाकर जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर किया और दिनांक 22.07.2021 के विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उसे नौबतपुर पी. एस. में दर्ज प्राथमिकी No.93/2020 के संबंध में जमानत दे दी।

आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम की धारा 27, कुछ शर्तों के अधीन। 10. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.09.2021 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-दूसरे के संबंध में आरोपी को भी जमानत दे दी।

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 341,307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराधों के लिए परसा बाजार पी. एस. में मामला दर्ज किया गया है। व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

11. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री स्मारहर सिंह और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत को सुना है। अभियुक्त और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

प्रतिवादी-अभियुक्त को आठ मामलों में नामित किया गया है। भले ही उक्त आरोपी को कुछ मामलों में बरी कर दिया गया हो, लेकिन उसके खिलाफ अभी भी तीन मामले लंबित हैं। उसने वर्ष 2017 में मृतक रुपेश कुमार को मारने का असफल प्रयास किया था। बाद में वर्ष में 2020 , उसने मृतक की हत्या कर दी और लगभग सात महीने तक फरार रहा। इसमें मृतक अपीलार्थी की माँ सूचना देने वाली है और उसे प्रतिवादी द्वारा धमकी दी गई है। वह केवल नौ महीने की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में था क्योंकि वह पहले फरार था लेकिन अब उसे उच्च न्यायालय द्वारा कानून के तय किए गए सिद्धांतों और इस न्यायालय के फैसलों के विपरीत जमानत दे दी गई है।

13. इसके अलावा यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने तत्काल मामलों में जमानत देने के लिए कारण नहीं बताए हैं, जबकि प्रतिवादी-आरोपी है उन पर जघन्य अपराध करने का आरोप है जिसके परिणामस्वरूप आजीवन कारावास या यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। प्रत्यर्थी-अभियुक्त, आदतन अपराधी होने के कारण, उच्च न्यायालय

द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती थी। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुत गुप्त आदेश डी हॉर्स किसी भी तर्क ने जमानत दे दी है प्रतिवादी-अभियुक्त। यह विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण है

अपीलार्थी, जो मृतक की माँ है, विवादित आदेशों को दरकिनार करके इन अपीलों की अनुमति दे। उनके निवेदन के समर्थन में, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है जिन्हें बाद में संदर्भित किया जाएगा। 14. इसके विपरीत, प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बसंत ने विवादित आदेशों का समर्थन किया और तर्क दिया कि

अभियुक्त नं. 2 मामले में मृतक का बहनोई है और वे दोनों एक अन्य मामले में आरोपी थे जिसमें प्रतिवादी-आरोपी को गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मृतक और दीपक कुमार ने नं. 2 एक ही घर में साथ रहते थे। हो सकता है कि उसने मृतक पर गोली चलाई हो, लेकिन प्रतिवादी-अभियुक्त पर नहीं। यह सूचना देने वाले द्वारा प्रतिवादी-अभियुक्त के झूठे निहितार्थ का मामला है। 15. कि बंदूक आरोपी नं. 2 और प्रतिवादी-अभियुक्त से कोई वसूली नहीं की गई है। वहाँ हुआ है

मृतक के खिलाफ कई मामले और आरोपी नं। 2 भी।

16. प्रतिवादी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी-अभियुक्त 18 और 19 फरवरी, 2020 की दरम्यानी रात को 350 किलोमीटर दूर था। वह अपराध स्थल पर बिल्कुल नहीं था। यह मोबाइल फोन के विवरण से स्पष्ट है। इसलिए, उच्च न्यायालय को इन पहलुओं पर विचार करने और प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत देने में उचित माना गया।

17. उनके समर्पण के समर्थन में, श्री बसंत, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने गुडीकांती नरसिम्हुलु और अन्य पर भरोसा रखा। बनाम सार्वजनिक

अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय-(1978) 1 एस. सी. सी. 240, जो जमानत देते समय न्यायालय के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। जमानत मांगने वाले आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय मामले के गहन विश्लेषण में प्रवेश नहीं कर सकता है ताकि मामले की एक छोटी सुनवाई हो सके। जमानत देते समय लंबा कारण देना भी अनावश्यक है। यह था।

उन्होंने तर्क दिया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। एक बार अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, यह बहुत दुर्लभ मामलों में ही हस्तक्षेप होता है क्योंकि इसका प्रभाव जमानत रद्द करने पर पड़ता है। कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि स्थिति की आवश्यकता न हो। 18. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह तर्क देना सही नहीं था कि प्रतिवादी-अभियुक्त फरार हो गया था। वास्तव में, उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं था। यह केवल तब हुआ जब एक विरोध बृजमणि देवी बनाम।

पप्पु कुमार और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

याचिका दायर की गई कि उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

19. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि के खिलाफ आरोप

प्रतिवादी-अभियुक्त झूठे हैं और इसलिए उच्च न्यायालय के विवादित आदेश इन अपीलों में किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं।

20. श्री स्मारहर सिंह के तर्क को ध्यान में रखते हुए, विद्वान

अपीलार्थी के वकील ने कहा कि प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत देने वाले विवादित आदेश किसी भी तर्क से रहित हैं और वे गुप्त हैं और जमानत आकस्मिक तरीके से दी गई है, हम 22 जुलाई, 2021 और 13 सितंबर, 2021 के विवादित आदेशों के उन हिस्सों को निकालते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित, जो जमानत देने के लिए न्यायालय का "तर्क" प्रदान करता है, निम्नानुसार:

" विवादित आदेश दिनांकित 22.7.2021
जाँच के दौरान, यह सामने आया है कि उस समय और

घटना की तारीख याचिकाकर्ता अररियामे छल। याचिकाकर्ता 30.09.2020 के बाद से हिरासत में है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और तथ्य पर विचार करना।

कि याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे निहितार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है

विद्वानों की संतुष्टि के लिए समान राशि की प्रतिभूति
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट III, पटना

2020 का नौबतपुर पी. एस. मामला No.93, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

(i) याचिकाकर्ता मुकदमे में सहयोग करेगा और अदालत द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उचित रूप से प्रतिनिधित्व करेगा और अदालत के निर्देश के अनुसार और दो मामलों में विफलता की स्थिति में शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

पर्याप्त कारणों के बिना लगातार तारीखों पर, उसका जमानत बांड नीचे दी गई अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है।

यदि याचिकाकर्ता साक्षय के साथ छेड़छाड़ करता है या

((ख)

मामले के गवाह, उस मामले में, अभियोजन होगा

याचिकाकर्ता की जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता।

" मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और
तथ्य याचिकाकर्ता 06.01.2021 के बाद से हिरासत में है, याचिकाकर्ता, [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर उल्लिखित, के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर बढ़ाया जाए रु. 10,000 / - (दस हजार) समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ

प्रत्येक विद्वान उप न्यायाधीश-VIII, पटना की संतुष्टि के लिए,

परज़ा बाज़ार पी. एस. मामला सं. 316/2017 के साथ संबंध

निम्नलिखित शर्तें:

(1) याचिकाकर्ता मुकदमे में सहयोग करेगा और ठीक से काम करेगा।

न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा और

न्यायालय के निर्देशानुसार शारीरिक रूप से उपस्थित रहें और

पर्याप्त कारण के बिना लगातार दो तारीखों पर अनुपस्थिति, उसका / उसके जमानत बांड को नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

(2) यदि याचिकाकर्ता सबूत या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उस मामले में अभियोजन पक्ष रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

जमानत का "। 21. आगे बढ़ने से पहले, इसका उल्लेख करना उपयोगी होगा

अभियुक्त को जमानत देने के मामले में इस न्यायालय के न्यायाधीश:

गुडीकांती नरसिम्हुलु (ऊपर) में, कृष्ण अय्यर, जे., जबकि

अ)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की विषय-वस्तु और अर्थ के बारे में विस्तार से बताते हुए, इन कारकों को भी विस्तार से बताया गया है कि

जमानत देते समय विचार किया जाना चाहिए जो हैं

निम्नानुसार निकाला गया:

" 7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोप की प्रकृति महत्वपूर्ण कारक है और साक्षय की प्रकृति भी है
प्रासंगिक। दोषी ठहराए जाने या दोषी ठहराए जाने की पुष्टि होने पर पक्ष जिस सजा के लिए उत्तरदायी हो सकता है, वह भी लागू होती है।

मुद्दे पर।

8. एक अन्य प्रासंगिक कारक यह है कि क्या न्याय के मार्ग को उस व्यक्ति द्वारा विफल किया जाएगा जो न्यायालय की सौम्य अधिकारिता को कुछ समय के लिए मुक्त करने की मांग करता है।

9. इस प्रकार कानूनी सिद्धांत और व्यवहार आवेदक की संभावना पर विचार करते हुए न्यायालय को मान्य करते हैं।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ हस्तक्षेप करना या

अन्यथा न्याय की प्रक्रिया को प्रदूषित करना। इस संदर्भ में, जे. एम. ए. एन. आई. देवी बनाम को खोजने के लिए जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पूर्ववृत्त की जांच करना न केवल पारंपरिक बल्कि तर्कसंगत है।

पप्पु कुमार और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

क्या उनका खराब रिकॉर्ड है-विशेष रूप से एक रिकॉर्ड

जो बताता है कि उसके गंभीर अपराध करने की संभावना है

जमानत पर रहते हुए अपराध। आदतन के संबंध में, यह आपराधिक इतिहास का हिस्सा है कि एक विचारहीन जमानत आदेश ने बेली को प्रतिवादी के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में आगे बताने के अवसर का फायदा उठाने में सक्षम बनाया है।

इसलिए यह अप्रासंगिकता का अभ्यास नहीं है।

राहुल सिंह भाटी बनाम दिल्ली का एन. सी. टी. और ओ. आर. एस.-(2001) एस. सी. सी. 280 एक ऐसा मामला है जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिन पर जमानत देते समय विचार किया जाना चाहिए:

" (क) जमानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, यदि आरोप में दोषसिद्धि और आरोपों के समर्थन में साक्षय की प्रकृति शामिल है। (ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका को भी अदालत के साथ विचार करना चाहिए।

जमानत देने का मामला।

(ग) जबकि अभियुक्त के अपराध को उचित से परे स्थापित करने के लिए पूरा सबूत होने की उम्मीद नहीं है।

संदेह है लेकिन हमेशा एक प्रथम दृष्टया होना चाहिए

आरोप के समर्थन में न्यायालय की संतुष्टि। (घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिस पर जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और

घटना के सामान्य क्रम में अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में,

अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन संघ-(2002) 3 एस. सी. सी. 598, बनर्जी के माध्यम से बोलते हुए,

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से। बिना किसी ठोस कारण के जमानत के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

हालाँकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत की मंजूरी अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करती है और तथ्य हमेशा मामले-दर-मामले भिन्न होते हैं। जबकि समाज में अभियुक्त की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जमानत देने के मामले में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है और इसे हमेशा जमानत देने की आवश्यकता वाली अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

जमानत देने के लिए विचार-अपराध जितना अधिक जघन्य होता है, जमानत खारिज होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, हालांकि, यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है। मामले में "।

कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्र। - – (2004) 7 एस. सी. सी. 528, यह न्यायालय

पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित रूप में देखा गया है:

" 11. जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है। जमानत देने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए न कि निश्चित रूप से। यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्षय की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत प्रलेखन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। अपराध। ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश मन का उपयोग न करने से पीड़ित होगा। यह भी आवश्यक है कि अन्य

परिस्थितियों के अलावा, जमानत देने से पहले निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करने के लिए जमानत देने वाला न्यायालय; वे हैं:

आरोप की प्रकृति और इसकी गंभीरता

अ)

दोषसिद्धि और प्रकृति के मामले में सजा

सबूत का समर्थन करना।

ख)

के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका

गवाह या खतरे की आशंका

शिकायतकर्ता।

(ग) के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि

प्रभार। (राम गोविंद उपाध्याय बनाम देखें।

बृजमणि देवी बनाम। पप्पु कुमार और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

सुदर्शन सिंह, (2002) 3 एस. सी. सी. 598 और पूरन बनाम। रामबिलास (2001) 6 एस. सी. सी. 338 "।

गोबरभाई नारनभाई सिंगला बनाम गुजरात राज्य और

ई)

ओआरएस। आदि। - (2008) 3 एस. सी. सी. 775, एक ऐसा मामला है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक याचिका में इस न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने से संबंधित है। उक्त में

पंचानन मिश्रा बनाम पंचानन मिश्रा पर केस रिलाइंस रखा गया था।

दिगंबर मिश्रा-(2005) 3 एस. सी. सी. 143 जिसमें पैरा

13 यह निम्नानुसार देखा गया:

" 13. जमानत रद्द करने का अंतर्निहित उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई की रक्षा करना और मुक्त किए गए आरोपी को रोककर समाज के साथ किया जा रहा न्याय सुनिश्चित करना है। जघन्य अपराध में साक्षय के साथ छेड़छाड़ करने से जमानत आदेश द्वारा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब कोई व्यक्ति गंभीर आपराधिक मामलों में जमानत पर रिहा हो जाता है

जहां सजा काफी कठोर और निवारक है, आरोपी उसी के चंगुल से बचने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने, परिवार को धमकी देने जैसी विभिन्न गतिविधियों में लिप्त होते हैं।

मृतक पीड़ित के सदस्य और भी बनाते हैं

कानून और व्यवस्था की स्थिति की समस्याएं "।

आगे उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी का उल्लेख करते हुए -

(2005) 8 एस. सी. सी. 21, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों को इस प्रभाव से नोट किया कि प्रतिवादी को पिछले 25 वर्षों में दस अन्य आपराधिक मामलों में नामित किया गया था, जिनमें से पांच मामले हत्या के प्रयास के लिए आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत और दूसरा हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत थे। उस में

अधिकांश मामलों में उन्हें पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। आगे कुछ भी कहे बिना इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में न्यायालय ने सामान्य सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी की

हत्या के जघन्य अपराध में जमानत का अनुदान जिसमें सजा, यदि दोषी ठहराया जाता है, तो मौत या आजीवन कारावास है।

यह भी कहा गया कि आक्षेपित आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्षों ने मामले के गुण-दोष को छुआ और विद्वान न्यायाधीश ने इस तरह आगे बढ़े जैसे कि अमरमणि त्रिपाठी में जो कहा गया था, उसके विपरीत बरी करने का आदेश पारित किया जा रहा था, जो कि तथ्यों और परिस्थितियों या प्रथम दृष्टया मामले के बारे में संतुष्ट करने के लिए केवल एक संक्षिप्त जांच की जानी है।

एश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह @लल्ला मामले में यह अदालत बाहू और अन्र। – (2012) 9 एस. सी. सी. 446 ने कहा कि हालांकि अभिरक्षा की अवधि एक प्रासंगिक कारक है, लेकिन इसे समग्रता के साथ एक साथ तौलना होगा।

परिस्थितियाँ और आपराधिक पृष्ठभूमि। यह रेखांकित किया गया कि इन्हें सामूहिक आक्रोश और इच्छा के पैमाने पर तौला जाना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामाजिक चिंता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र में। – (2016) 15 एस. सी. सी. 422, पैराग्राफ 15 और 18 में दीपक मिश्रा, जे. (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था) के माध्यम से देखे गए जमानत देने के कारकों पर विचार करने पर इस न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख करने के बाद:

" 15. कानून की यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी है वह समानता का सिद्धांत है। अपराधों की प्रकृति में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर जो हमारे पास है

उसे हिरासत में नहीं रखा जाना है, लेकिन अपराध जघन्य प्रकृति के हैं और ऐसे अपराध, किसी भी तरह से नहीं। कल्पना को जेजुन माना जा सकता है। इस तरह के मामलों में गरज और बिजली गिरने का प्रभाव पड़ता है

विश्लेषणात्मक मस्तिष्क में मूसलाधार वर्षा की संभावना। कानून उम्मीद करता है कि न्यायपालिका इस तरह के अभियुक्त व्यक्तियों को स्वीकार करते समय सतर्क रहे और इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है।

सनकी तरीके से नहीं।

एक्स एक्स एक्स

18. मामले से अलग होने से पहले, हम दोहरा सकते हैं

उच्च न्यायालय की मांग की जाती है क्योंकि कई प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है जिसमें अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि शामिल है और जो आदेश को विचलित करने वाला बनाता है। इसलिए, अपरिहार्य परिणाम है विवादित आदेश का लैंसिनेशन "। रिज्मानी देवी बनाम।

पप्पु कुमार और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

अनिल कुमार यादव बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)-(2018) 12 एस. सी. सी. 129, इस न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है।

विचार जिन्हें संतुलन में रखा जाना चाहिए

यह तय करना कि जमानत दी जाए या नहीं।

" 17. जमानत देते समय, प्रासंगिक विचार इस प्रकार हैं: ((i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति; (ii) साक्षय और परिस्थितियों की प्रकृति जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; और (iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iv) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर उसकी रिहाई का प्रभाव, समाज पर इसका प्रभाव; और (v) उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सूची संपूर्ण नहीं है। कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हैं।

जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में, प्रत्येक मामले को होना चाहिए

अपने गुणों पर विचार करें। मामला हमेशा न्यायालय द्वारा विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग करने की मांग करता है।

हाल ही में भूपिंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य और

एन. आर. (2021 की आपराधिक अपील संख्या 1279), यह न्यायालय

एक के अभ्यास के मामले में नीचे के रूप में देखा है

यह निर्धारित करने के लिए अपीलीय शक्ति कि क्या जमानत दी गई है

एक आवेदन से अलग वैध कारणों के लिए

महिपाल बनाम राजेश कुमार का हवाला देकर जमानत रद्द करना। (2020) 2 एससीसी 118:

" 16. विचार जो एक की शक्ति का मार्गदर्शन करते हैं

जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय न्यायालय एक से अलग आधार पर खड़ा है

जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन का मूल्यांकन।
जमानत देने के आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या कोई अनुचित या मनमाना आदेश था।

जमानत देने में विवेकाधिकार का प्रयोग। परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अवैध है। अनुचित। दूसरी ओर, एक आवेदन

जमानत रद्द करने की जांच आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षी परिस्थितियों के अस्तित्व या जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर की जाती है जिसे जमानत दी गई हो। दिया गया है "।

किसी निर्णय के कारणों को समझाने के कर्तव्य के पहलू परया एक अदालत, या उस मामले के लिए, यहां तक कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, यह [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा। बनाम मसूद अहमद खान और अन्य। – (2010) 9 एस. सी. सी. 496, जिसमें कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने पैराग्राफ 47 में इस मुद्दे पर कानून का सारांश दिया। इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला गया है:

(अ)

कारणों को दर्ज करने पर जोर देना सेवा के लिए है

न्याय का व्यापक सिद्धांत कि न्याय केवल नहीं किया जाना चाहिए

यह भी किया गया प्रतीत होना चाहिए।

(ख)

कारणों को दर्ज करना भी एक वैध प्रतिबंध के रूप में काम करता है

न्यायिक और अर्ध-न्यायिक का कोई भी संभावित मनमाना प्रयोग

या प्रशासनिक शक्ति भी।

((ग)

कारण आश्वस्त करते हैं कि विवेक का प्रयोग किया गया है

निर्णय निर्माता प्रासंगिक आधारों पर और उपेक्षा करके

बाहरी विचार।
कारण लगभग अपरिहार्य हो गए हैं

((घ)

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया का घटक

यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा भी।

शासन के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति

(ई)

कानून और संवैधानिक शासन के पक्ष में है

प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तर्कपूर्ण निर्णय। यह वस्तुत: न्यायिक निर्णय की जीवनदायिनी है-न्यायसंगत ठहराते हुए
सिद्धांत यह है कि तर्क न्याय की आत्मा है।

न्यायिक या यहां तक कि अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों हो सकती है

(च)

उन्हें देने वाले न्यायाधीशों और अधिकारियों के रूप में अलग। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो है -
कारण से प्रदर्शित करें कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। यह बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है

न्याय वितरण प्रणाली में वादियों का विश्वास।

कारण पर जोर देना दोनों न्यायिक संस्थाओं के लिए एक आवश्यकता है।

(जी)

जवाबदेही और पारदर्शिता।

(ज)

यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी पर्याप्त स्पष्ट नहीं है

उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में तब यह जानना असंभव है कि क्या निर्णय लेने वाला व्यक्ति निर्णय के प्रति वफादार है।

पूर्ववर्ती या वृद्धिवाद के सिद्धांतों का सिद्धांत।

बृजमणि देवी बनाम। पप्पु कुमार और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना जे.]

निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और स्पष्ट होने चाहिए।

((i)

संक्षिप्त। कारणों का ढोंग या "रबर-स्टाम्प कारणों" को एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि पारदर्शिता अनिवार्य है।

(1)

न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय निर्माताओं को त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी बनाती है। (के बचाव में डेविड शापिरो को देखें

न्यायिक कैंडोर [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731

37)

(के)

सभी सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भविष्य के लिए मिसालें स्थापित करने में। अतः इसके लिए कानून का विकास, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता का सार है और वस्तुतः "देय" का एक हिस्सा है।

प्रक्रिया "।

23. यद्यपि उपरोक्त निर्णय राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक गुप्त आदेश द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के संदर्भ में दिया गया था। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, किसी मामले का निर्णय लेते समय कारण देने की आवश्यकता पर उक्त निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है।

24. लैटिन उक्ति "सेसांते राशन लेजिस सेसैट इप्सा लेक्स"

जिसका अर्थ है "तर्क कानून की आत्मा है, और जब किसी विशेष कानून का कारण समाप्त हो जाता है, तो कानून भी ठीक है।"

25. जबकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अमूल्य अधिकार है, साथ ही एक आवेदन पर विचार करते समय

जमानत के लिए न्यायालय किसी अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति और मामले से संबंधित तथ्यों की दृष्टि नहीं खो सकते हैं, विशेष रूप से जब आरोप झूठे, तुच्छ या परेशान करने वाले प्रकृति के नहीं हो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर लाई गई पर्याप्त सामग्री द्वारा समर्थित हैं ताकि न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुँच सके। जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष कारणों से समर्थित होना चाहिए और रिकॉर्ड में लाए गए मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस पर पहुंचना चाहिए। अपराध की प्रकृति का संकेत देने वाले तथ्यों पर उचित विचार किया जाना चाहिए, अपराधी अभियुक्त का पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, और किसी अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध/धाराओं के संबंध में दोषसिद्धि के बाद आने वाली सजा की प्रकृति।

26. हमने विवादित आदेशों के प्रासंगिक हिस्सों को निकाल लिया है।

ऊपर। शुरुआत में, हम देखते हैं कि निकाले गए हिस्से ही जमानत देते समय उच्च न्यायालय के "तर्क" का हिस्सा हैं। जैसा कि पूर्वनिर्धारित निर्णयों से उल्लेख किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि

जमानत देते समय विस्तृत कारण देने के लिए अदालत विशेष रूप से जब मामला प्रारंभिक चरण में है और अभियुक्त द्वारा अपराधों के आरोपों को इस तरह से स्पष्ट नहीं किया गया होगा। यह धारणा देने के लिए विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया जा सकता है कि मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होगी या इसके विपरीत, जमानत देने के आवेदन पर आदेश पारित करते समय बरी हो जाएगा। साथ ही, लगाए गए आरोपों की प्रकृति के बीच संतुलन बनाना होगा अभियुक्त के खिलाफ; यदि आरोप उचित संदेह से परे साबित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है तो सजा की गंभीरता; अभियुक्त द्वारा गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; साक्षय के साथ छेड़छाड़; अभियोजन के मामले में तुच्छता; अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि; और अभियुक्त के खिलाफ आरोप के समर्थन में न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

27. अंततः, जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय को विवेकपूर्ण तरीके से और इसके अनुसार विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा एक ओर अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराध को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर मामले की सुनवाई की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए कानून के तय किए गए सिद्धांत।

28. इस प्रकार, जबकि जमानत देने के लिए कारणों को विस्तृत रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, उसी समय एक आदेश डी हॉर्स रीजनिंग या

प्रासंगिक कारणों से जमानत नहीं दी जा सकती है। यह केवल एक गैर-मौखिक आदेश होगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष या मुखबिर को उच्च मंच के समक्ष आदेश पर हमला करने का अधिकार है।

साथ ही बार में उठाए गए तर्कों का ऊपर विस्तार से वर्णन किया गया है। उसी पर विचार करने पर, के निम्नलिखित पहलू मामला सामने आएगा:

प्रतिवादी के खिलाफ आरोप-अभियुक्त के तहत हैं

अ)

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 341,307 और पारसा बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज 2017 की एफ. आई. आर. संख्या 316 के संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 27 जो कि रिजमानी देवी बनाम के साथ है।

कुमार। इस प्रकार, प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाए गए अपराध उसी रुपेश के खिलाफ गंभीर अपराध हैं। कुमार पर दो बार आरोप लगाया गया है, 2017 में जब उनकी हत्या का प्रयास किया गया था और 2020 में हत्या का आरोप अपीलार्थी द्वारा लगाया गया है, जो मृतक की मां है जिसे एक चश्मदीद गवाह बताया गया है। इसलिए लगाए गए हैं आरोप

प्रत्यर्थी-अभियुक्त बनाम उसी व्यक्ति के विरुद्ध,

अर्थात्, दोनों मामलों में मुखबिर रुपेश कुमार।

प्रतिवादी-अभियुक्त के अनुसार, अभियुक्त और मृतक के बीच दुश्मनी का इतिहास रहा है।

प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि उसने रुपेश कुमार को एक बन्दूक से गोली मार दी, जिसका नाम पिस्तौल है। मौकों पर।

प्रतिवादी-अभियुक्त का नाम यहाँ लगभग रखा गया है।

आठ मामले और हो सकता है कि उनमें से कुछ में उन्हें बरी कर दिया गया हो, लेकिन उनके खिलाफ अभी भी मामले लंबित हैं। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त आपराधिक है।

पूर्ववर्ती। इस प्रकार, प्रतिवादी-अभियुक्त के फरार होने या गवाहों को धमकी देने की संभावना है यदि वह जमानत पर है। मुकदमों की सुनवाई पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा, प्रतिवादी को सुरक्षित करने के लिए-यहाँ अभियुक्त के लिए

ज) प्रतिवादी-तत्काल मामलों में अभियुक्त।
दिनांक 13.09.2021 के विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने

(i) यह नोट किया गया है कि चुनाव लड़ने के संबंध में मृतक और याचिकाकर्ता के बीच पिछली दुश्मनी थी छोटी तंगरेला ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में चुनाव लेकिन इस तथ्य को आरोपी के खिलाफ आरोप के संदर्भ में और इसके संबंध में ध्यान में नहीं रखा गया है।
जमानत देने के लिए।

30. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों पर उपरोक्त निर्णयों के साथ संयोजन में विचार करने के बाद, हम नहीं मानते कि ये मामले प्रतिवादी-अभियुक्त को उसके खिलाफ दो गंभीर आरोपों के संबंध में जमानत देने के लिए उपयुक्त मामले हैं।

अभियुक्त। उपरोक्त कारणों से, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदनों को अनुमति देने में सही नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा

पारित विवादित आदेशों को खारिज कर दिया जाता है। अपीलों की अनुमति है। 32. प्रतिवादी-अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उसे संबंधित जेल के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकारी।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे